अनुसूची घ –फारम स०– ह्य

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, घश् घ का नियम घलश्)

आदेश पत्रक – ता०.....से.....

.....तक

जिला....., स०....., सन् घश्.....

.....

केस का प्रकार.....

.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर ह्य	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित f'
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **आंगनवाड़ी अपील वाद संख्याः 120/2012** सोनी कुमारी –– अपीलार्थी बनाम राज्य एवं अन्य –– रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण –:आदेशः– प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा विविध ऑगनवाड़ी अपील वाद संख्या 06/11 दिनांक 17.02.2012 को सीधे मिनू कुमारी पति मनोज कुमार, के सेविका पद पर ऑगनबाड़ी केन्द्र सं0 86 हरिजन टोला, लक्ष्मीनियॉ ग्राम पंचायत लालपुर, सरोपट्टी चयनित किये जाने के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी/आवेदिका सोनी कुमारी पति श्री मनोज कुमार पौद्वार, ग्राम सरोपपट्टी थाना सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा एक बहुत ही पिछड़ी जाति वर्ग से आती है । अपीलार्थी का चयन आमसभा एवं ट्रेनिंग प्राप्त कर ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या 86 पर सेविका के पद पर किया गया । जहॉ वह अपना कार्य कर रही थी उक्त केन्द्र की पूर्व से कार्यरत सेविका द्वारा अपना त्याग पत्र दे दिये जाने के कारण उक्त केन्द्र रिक्त पड़ा था । नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर चयन की प्रकिया की गयी। अपीलार्थी सोनी कुमारी द्वारा चयन हेतु अपना आवेदन सेविका पद के लिए दिया गया । केन्द्र संख्या –86 पर दिनांक 18.11.2009 को आम सभा करके एवं विभागीय ट्रेनिंग प्राप्त करन के उपरांत सक्षम पदाधिकारी द्वारा इनको चयनित सेविका के पद पर दिनांक 13.01..2010 को योगदान देकर अपने	

कर्तव्य पर अभीतक कार्यरत थी इसी बीच आवेदिका को एक रजिस्ट्रर्ड लिफाफा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय से दिनांक 02.04.12 को रजिस्ट्रर्ड नं0 4617 ज्ञापांक 160 दिनांक 17.02.12 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय आदेश दिनांक 17.02.12 प्राप्त हुई । जिसमें लिखा था कि आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखा गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट ली गई यह पाया गया कि आवेदिका का मेधा सूची में सबसे ज्यादा अंक है ,इसके बाबजूद भी वहाँ की ऑगनवाड़ी सहायिका सोनी देवी जिसका मेधा सूची में तीसरा स्थान है उसे चयन कर लिया गया है। यह बिल्कूल गलत है। अगर सहायिका को प्रोन्नति दिया जाता तो सेविका पद पर आवेदन आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं था । अतः अपीलार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए ऑगनवाड़ी केन्द्र सख्या 86 हरिजन टोला लक्ष्मीनियॉ ग्राम पंचायत लालपुर सरोपट्टी ,सिंहेश्वर में सेविका पद पर बहाल किया जाता है। श्रीमति सोनी देवी, सहायिका पद पर कार्यरत रहेगी। पारित आदेश की छायाप्रति प्राप्त कर जिला पदाधिकारी मधेपुरा के यहाँ एक अपील दायर की जिसमें अनुरोध किया कि अपील एडमिट करके सभी संबधित अभिलेख को मँगाकर एवं उभय पक्ष को नोटिश करके दिनांक 17.02.12 को पारित आदेश को रोका जाय। उभय पक्ष के द्वारा आदेश के विरूद्व जाने पर जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा यह निदेश दिया गया कि पोषाहार कार्यक्रम केन्द्र संख्या –86 पर अवरूद्व नहीं हो। कंडिका 8(3) के आलोक में चयनमुक्त करने संबधी कार्रवाई के निष्पादन केन्द्र कियाशील रहेगा ।

अपीलार्थी ने इस संबध में अपना यह कथन रखा है कि जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश दिनांक 17.02.2012 बिल्कूल ही विभागीय ऑगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन निदेशिका ,2006 के विपरित पारित किया गया है। अपीलार्थी का चयन ऑगनवाड़ी चयन निदेर्शिका 2006 के कंडिका 6(xi) के आधार पर आम सभा दिनांक18.11.09 एवं योगदान दिनांक 13.01.2010 को उक्त केन्द्र पर किया गया। अगर कोई आपत्ति मीनू कुमारी को थी तो विज्ञ जिला पदाधिकारी को विभागीय मार्गदर्शिका,2006 के पारा 8 (3) के नियम के तहत जिसमें उल्लेख किया गया है " जिला पदाधिकारी ऐसे मामले में सम्बन्धित पक्षों को विधिवत सुनकर एवं सभी तथ्यों /जॉच प्रतिवेदन के आलोक में एक माह के अन्दर मुखर आदेश पारित करेगें "

लेकिन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा विना विपक्षी को सुने, एक तरफा आदेश ऑगनबाडी निर्देशिका के पारा 8(3) के विपरित कर दिया। जबकि अपीलार्थी का चयन आमसभा में विभागीय निर्देश के आलोक में किया गया लेकिन उस चयन आदेश को भी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया । विज्ञ जिला पदाधिकारी द्वारा चयन आदेश रद्व करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा लिखित रिपोर्ट पर बिना मार्ग दर्शिका के पारा 6 एवं 8(3) को देखे सीधे बिना अधिकार के मीनू कुमारी को सेविका के पद पर ऑगनवाडी केन्द्र संख्या 86 पर नियुक्त कर दिया ।जबकि मीनू कुमारी दिनांक 18.11.09 को उस आम सभा में उपस्थित हुई और न ही संबधित कागजात और प्रमाण पत्र विभागीय निदेश के आलोक में समर्पित की थी ।अगर सहायिका को प्रोन्नति दिया जाता था तो सेविका पद पर आवेदन का आमंत्रण कारने का कई औचित्य नही था । यह सारा आदेश दुरभावनाग्रस्ति होकर सत्य से परे हटकर विभागीय निदेश के विपरित किया गया । जिला पदाधिकारी,मधेपुरा के आदेश दिनांक 17.022012 में विभगीय नियम के विपरित मीकू कुमारी का सेविका के पद पर नियुक्ति की गयी एवं सेविका के पद पर कार्यरत श्रीमति सोनी देवी को सहायिका पद पर कार्यरत रहेगी ।

यह आदेश विभागीय निर्देशों के विपरीत किया गया है

जबकि मार्गदर्शिका,2006के आलोक में अपीलार्थी का चयन आम सभा में सेविका के पद पर ऑगनबाड़ी केन्द्र सं0 86 पर इसलिए किया गया था पूर्व की सेविका द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था ।तब श्रीमति आरती देवी पति इन्द्रजीत मंडल का चयन आमसभा दिनांक 21.01.2010 को किया गया । उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया। उनके द्वारा दिनांक 21.01.2010 कोऑगनबाडी केन्द्र सं0 86 पर योगदान देकर चली गयी फिर लोट कर नये आमसभा के आयोजित होने तक नहीं आई ।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि विज्ञ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी सिंहेश्वर के जॉच प्रतिवेदन को स्वीकारा गया । मात्र अधिक प्राप्ताक के आधार पर मीनू कुमारी का बिना आमसभा, बिना कागजात/प्रमाण पत्र समर्पित किये जाने के बावजूद चयन किया जाना किसी प्रकार से उचित प्रतीत नही होता है । उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या 86 पर चयन विधिसम्मत रूप से आमसभा का आयोजन किया गया एवं मेधा सूची तैयार किया गया था उपलब्ध मेधा सूची में सबसे अधिक अंक प्रतिवादी मीनू कुमारी का पाया गया जबकि अपीलार्थी सोनी कुमारी पूर्व की सेविका के द्वारा अपने पद से त्याग पत्र देने के कारण उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर रही थी । स्पष्टतः ऑगनबाड़ी मार्गदर्शिका,2006 के आलोक में सेविका को सहायिका के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान नहीं है ।उक्त आदेश के विरूद्व आवेदिका द्वारा आवेदन दिया जाता है तो अन्य आवेदकों के साथ मानवता के आधार पर आम सभा के संचालन के उपरांत ही चयन किया जाता । निम्न न्यायालय जिला पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि प्रतिवादी मीनू कुमारी का मेधा सूची में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त है, अपीलार्थी सोनी कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं है । इस कारण इस चयन को गलत पाते हुए चयनमुक्ति का आदेश दिया गया एवं अपीलार्धी को सेविका के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया है जो वैद्व है, इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । आवेदिका के अपील आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित।

21/12/2013

संयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21/12/2013

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा